[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19.03., 2012

का.आ.490 (अ).- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओडिशा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

1.	प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, ओडिशा सरकार ।	अध्यक्ष
2.	श्री मंगाराज पांडा सचिव, यूनाइटेड आर्टिस्ट एसोशिएशन, राउला स्ट्रीट, पोस्ट आफिस/जिला गंजम-761026	सदस्य
3.	परियोजना निदेशक, एकीकृत तटीय और सामुद्रिक क्षेत्र प्रबंध, समुद्रिक विकास विभाग, चैन्नई	सदस्य
4.	डा0 रबीन्द्र नाथ होता, आचार्य भूविज्ञान उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	सदस्य
5.	विभागाध्यक्ष, समुद्र विज्ञान विभाग, बरहमपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा	सदस्य
6.	आयुक्त सह-सचिव-सरकार, आवास और शहरी विकास विभाग, ओडिशा सरकार	सदस्य
7.	आयुक्त सह-सचिव-सरकार, मत्स्य और पशु संसाधन विकास विभाग, ओडिशा सरकार ।	सदस्य
8	प्रधान वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा	सदस्य
9.	अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा या सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा	सदस्य
10.	मुख्य कार्यकारी, चिलिका विकास प्राधिकरण,	सदस्य

भुवनेश्वर

11. मुख्य कार्यकारी, सदस्य
ओडिशा स्पेस एप्लिकेशन सेंटर,
भुवनेश्वर ।

12. मुख्य वन संरक्षक, सदस्य
पर्यावरण और वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय,
भुवनेश्वर ।

13. निदेशक, पर्यावरण सह-विशेष सचिव सरकार, सदस्य सचिव
वन्य और पर्यावरण विभाग,
ओडिशा सरकार ।

II. प्राधिकरण को ओडिशा राज्य के क्षेत्रों में समुद्र तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(i) ओडिशा राज्य सरकार से प्राप्त तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना (सीजेडएमपी) के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरण के लिए प्रस्तावों का परीक्षण और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के उपबंधों के अनुसार उसकी दृष्टि से तटीय विनियमन जोन से विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ;

(ii) (क) उक्त अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, के अधिकथित उल्लंघन के मामलों में जांच करना और यदि विनिर्दिष्ट मामलों में यह आवश्यक पाया जाए तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उन मामलों में जारी किन्हीं निदेशों से असंगत न हों ;

(ख) उक्त अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम या किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्य से संबंधित है और यदि आवश्यक पाया जाए तो ऐसे मामलों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को टीका-टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन के लिए उन्हें भेजना :

परंतु केवल पैरा II के उप पैरा (ii) (क) और पैरा (ii) (ख) के अधीन मामलों को किसी व्यष्टि या किसी निकाय या किसी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर या स्वतः प्रेरणा से लिया जाएगा ;

(iii) इस आदेश के पैरा 2 के उप पैरा (i) और उप पैरा (ii) के अधीन इसके द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना ;

(iv) उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना, जिससे कि इस आदेश के पैरा 2 के उप पैरा (i) और उप पैरा (ii) से उद्भूत मामलों से संबद्ध तथ्यों को सत्यापित किया जा सके ।

III. तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों प्राधिकरण कार्यवाई करेगा जिसे उसके द्वारा यथास्थिति, ओडिशा राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार को भेजा जा सकेगा ।

IV. प्राधिकरण क्षरण या निम्नीकरण से संबंधित बहुत ही अधिक संवेदनशील तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं को विरचित करेगा और उनके क्रियान्वयन के लिए वित्तपोषण के लिए प्रबंध करेगा ।

V. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र प्रबंध योजनाओं को विरचित करेगा

V. प्राधिकरण परियोजनाओं के संरक्षण के कार्यान्वयन या तटीय जनसंख्या की संरक्षा आदि के विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए समन्वय करेगा ।

VII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए समेकित तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VIII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा (V), (VI) और (VII) के अधीन इसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपांतरणों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उनकी परीक्षा और इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

IX. प्राधिकरण, सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो ओडिशा की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना और तटीय जोन विनियामक अधिसूचना, 2011 में अधिकथित हैं ।

X. प्राधिकरण, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय को छह मास की अवधि में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

XI. प्राधिकरण के बैठक की गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई होगी और यदि गणपूर्ति उपलब्ध नहीं है तो बैठक 30 मिनट के लिए स्थगित हो जाएगी और उसे पुनः आहूत किया जाएगा ।

XII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केंद्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन होंगी ।

XIII. प्राधिकरण, राज्य सरकार वित्तपोषण अधिकरणों या परियोजना प्राधिकारियों आदि से प्राप्त निधियों/फीसों को जमा करने के लिए किसी राष्ट्रीय बैंक में अपना खाता रखेगा ।

XIV. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिसूचना और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में यथापरिकल्पित इसके प्रभावी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकरण को पर्याप्त मात्रा में संसाधन, मानव शक्ति, निधियां उपलब्ध हों ।

XV. प्राधिकरण, सभी आवश्यक उपाय और पहल करेगा, जिसमें कार्यक्रम का निष्पादन, अनुसंधान, सूचना प्रसार, प्रशिक्षण, दिन-प्रतिदिन के कृत्यों के प्रति जागरुकता और समर्थन आदि सम्मिलित हैं और ऐसे उपयुक्त प्रक्रियाओं और साधनों को अंगीकृत करेगा जिसमें उसके लिए संसाधन वित्तपोषण आदि जुटाना भी सम्मिलित है ।

XVI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार राज्य में तटीय क्षेत्रों का तटीय विनियमन जोन के मानचित्रों को तैयार करेगा और इसे राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा ।

XVII. प्राधिकरण, जिला तटीय जोन मानीटरी समितियों के कृत्यों का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करेगा ।

XVIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन अधिसूचनाओं के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध योजना प्राधिकारियों, क्षेत्र अभिकरणों, जिला कलेक्टरों को निदेश देगा और उल्लंघन/अननुपालन के मामले में उपयुक्त कार्रवाई करेगा ।

XIX. वेतन और यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, आसन फीस, क्षेत्र दौरा फीस आदि जैसे पर्यावरण और वन्य मंत्रालय । केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए गए संनियमों के अनुसार होंगे ।

XVIII. प्राधिकरण, जब कभी आवश्यकता हो, अन्य विशेषज्ञ को बैठक के दौरान सदस्य के रूप में आमंत्रित करेगा ।

X. प्राधिकरण के क्षेत्र और अधिकारिता के भीतर नहीं आने वाले विनिर्दिष्ट रूप से किसी मामले को संबद्ध कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

XXI. प्राधिकरण, पर्यावरण विभाग से परामर्श करके उसे संवीक्षा फीस का वैसे ही उद्ग्रहण कर सकेगा जो किए एक प्रदूषक सिद्धांततः संदाय करता है ।

XXIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण और मार्गदर्शक सिद्धांत में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार तटीय विनियमन जोन अनापत्ति के लिए सभी मामलों पर उसे प्राप्त हुए उसको निर्दिष्ट हुए या उसके समक्ष रखे गए प्रस्तावों पर प्रक्रिया करेगा ।

XXIV. तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करने की शक्तियां प्राधिकरण और प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित की जाती हैं और अध्ययन द्वारा जारी किए गए निर्देशो की दशा में ऐसे निदेशों की प्रास्थिति प्राधिकरण के समक्ष इसकी आगामी बैठक में रखी जाएगी ।

XXV. तटीय जोन प्रबंध योजना के कार्यकरण में पारदर्शिता बनाए रखने को एक समर्पित वेबसाइट सृजित करने का उत्तरदायित्व तटीयजोन प्रबंध प्राधिकरण का होगा और जिसमे कार्यसूची, कार्यवृत्त लिए गए विनिश्चय समाशोधन पत्र, उल्लंघन, उल्लंघनों पर की कार्रवाई न्यायालयी मामले जिसके अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश के साथ यथास्थिति संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना को भी रखा जाएगा ।

XXVI. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

XXVII. प्राधिकरण का अपना मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित होगा ।

[फा.सं. 12-2/2005-आईए-III]

(राजीव गौबा)
संयुक्त सचिव

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY
PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the ..19.03.., 2012

S.O.490(E)- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an Authority to be known as the Odisha Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely :

1.	Principal Secretary, Environment and Forests Department, Government of Odisha	Chairman
2.	Sri Mangaraj Panda Secretary, United Artists' Association, At-Raula Street, PO/Dist. Ganjam – 761026	Member
3.	Project Director, Integrated Coastal and Marine Area Management, Department of Ocean Development, Chennai .	Member
4.	Dr. Rabindra Nath Hota, Professor of Geology, Utkal University, Bhubaneswar	Member
5.	Head of Department, Department of Marine Science, Berhampur University, Odisha	Member
6.	Commissioner-cum-Secretary to Government, Housing and Urban Development Department, Government of Odisha.	Member
7.	Commissioner-cum-Secretary to Government, Fisheries and Animal Resources Development Department, Government of Odisha	Member
8.	Principal Chief Conservator of Forest (WL) and Chief Wildlife Warden, Odisha	Member

9.	Chairman, State Pollution Control Board, Odisha or Member Secretary, State Pollution Control Board, Odisha	Member
10.	Chief Executive, Chilika Development Authority, Bhubaneswar	Member
11.	Chief Executive, Odisha Space Application Centre, Bhubaneshwar	Member
12.	Chief Conservator of Forests, Regional Office of Ministry of Environment and Forests, Bhubaneswar	Member
13.	Director, Environment-cum-Special Secretary to Government, Forest and Environment Department Government of Odisha	Member-Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Odisha, namely:-

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Odisha State Government and making specific recommendations from Coastal Regulation Zone point of view as per the provisions of Coastal Regulation Zone Notification, 2011;

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction

issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II only be taken up *suo motu* or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organization;

(iii) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order;

(iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government of Odisha, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government, as the case may be.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. Authority shall co-ordinate for implementing conservation projects or projects related to upliftment of coastal population protection etc.

VI. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas and arrange for funding for the implementation of the same.

VII. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VIII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV,V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Odisha and Coastal Zone Regulation Notification, 2011.

X. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment and Forests.

XI. The quorum of the meeting of the Authority shall be one third of the total number of the members and in case the quorum is not available, the meeting shall be adjourned for 30 minutes and shall be reconvened.

XII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XIII. The Authority shall have its Bank Account in the National Bank to deposit the funds or fees received from the State Government, funding agencies or project authorities etc.

XIV. The State Government shall ensure that sufficient resources, manpower, funds are available to the Authority to discharge its functions effectively as envisaged in the Notification and Environment (Protection) Act, 1986.

XV. The Authority shall take all necessary measures and initiatives including programme execution, research, information dissemination, training, awareness day to day functioning, and advocacy etc. and adopt suitable procedures and means including raising resources, funding etc. for the same.

XVI The Authority shall prepare and submit Coastal Regulation Zone maps of the coastal areas in the State as per the procedure laid down in the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 to the National Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment and Forests.

XVII. The Authority shall regularly review the functioning District Coastal Zone Monitoring Committees.

XVIII. The Authority shall direct all concerned planning authorities, field agencies, district collector to ensure the compliance of provisions of Coastal Regulation Zone Notifications and take suitable action in case of violations or non- compliance.

XIX. The pay and allowances such as TA, DA, Seating Fees, Field visit fees etc. shall be as per the norms decided by the Ministry of Environment and Forests/ Central Government.

XX. The Authority, whenever required shall invite other expert as a member during its meeting.

XXI. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

XXII. The Authority may levy scrutiny fees as a polluter pays principle in consultation with the Environment Department.

XXIII. The Authority shall process all the matters, proposals received, referred to or placed before it for Coastal Regulation Zone Clearance as per the procedure laid down in Coastal Regulation Zone Notification, 2011 and clarifications and guidelines issued by Ministry of Environment and Forests.

XIV. The Powers of issuing directions under section 5 of Environment (Protection) Act, 1986, read with Coastal Regulation Zone Notification, 2011 are delegated to the Authority and Chairman of the Authority and in case the directions are issued by Chairman, the status of those directions shall be placed before the Authority in its next meeting.

XXV. To maintain transparency in the working of the Coastal Zone Management Plans it shall be the responsibility of the Coastal Zone Management Authority to create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on the violations and court matters including the Orders of the Hon'ble Court as also the approved Coastal Zone Management Plans of the respective State Government or the Union territory, as the case may be.

XXVI. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XXVII. The Authority shall have its headquarters at Bhubaneshwar.

[F.No.12-2/2005-IA-III]

Rajiv Gauba
Joint Secretary